राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 12(2) शिक्षा–2/टंकण परीक्षा/2016 जयपुर, दिनांक : 9-1-19

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 द्वारा मृतक आश्रितों को कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा मे शिथिलन का अवसर दिये जाने हेतु प्रशासनिक विभाग को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग द्वारा माह जून–2018 से नवम्बर–2018 तक तीन वर्ष की सेवा उपरान्त भी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कार्मिको के मॉक टंकण टेस्ट आयोजित करवाये गये थे।

निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इस विभाग में बुलाये गये लगभग 1500 कार्मिकों में से लगभग 100 कार्मिक ही मॉक टेस्ट में उत्तीर्ण हो पाये हैं, जो कि उत्तीर्ण प्रतिशत के लिहाज से बहुत कम हैं तथा उक्त कार्मिकों की अपने कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त ऐसे कार्मिक जिन्होंने नियुक्ति के तीन वर्ष उपरान्त टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की ऐसे कार्मिकों को सम्बन्धित जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व में मॉक टंकण टेस्ट उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक हैं। ऐसी स्थिति में कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे कार्मिकों को प्रशासनिक विभाग में मॉक टेस्ट हेतु दो अवसर दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के प्रावधानानुसार शिक्षा विभाग के ऐसे समस्त कार्मिकों को एक मॉक टेस्ट अवसर दिया जा चुका हैं। अब दिया जाने वाला मॉक टेस्ट का अवसर उक्त समस्त कार्मिकों हेतु अन्तिम (दूसरा) अवसर होगा। **यदि उक्त कार्मिक अब दिये जाने वाले अन्तिम अवसर में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते है तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लिया जाने वाला आगामी निर्णय उक्त समस्त कार्मिकों के लिये अहितकर हो सकता हैं।**

यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि प्रथम मॉक टेस्ट हेतु इस विभाग में बुलाये गये कार्मिकों में से अधिकांश कार्मिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक वांछित कम्प्यूटर योग्यता (RKCL-RSCIT) धारक नहीं थे, ऐसे कार्मिकों को मॉक टेस्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः

(1/2)

दूसरे मॉक टेस्ट हेतु उन्ही कार्मिको को परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावे जिनके पास कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण–पत्र हो। इस हेतु कार्मिकों की कम्प्यूटर योग्यता की जांच सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर की जाने की उपरान्त ही मॉक टेस्ट हेतु नाम प्रेषित किया जावें।

अतः अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायको हेतु कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र **क्रमांक प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 28.05.2018 के अनुसार मॉक टैस्ट हेतु दिये जाने वाले दूसरे एवं अन्तिम अवसर का परीक्षा कार्यक्रम जारी किये जाने से पूर्व उक्त समस्त कार्मिकों को व्यक्तिशः जरिये रजिस्टर्ड डाक तथा सम्बन्धित संस्थाप्रधान के माध्यम से मॉक टेस्ट हेतु पूर्ण तैयारी तथा वांछित कम्प्यूटर योग्यता के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने** का श्रम करावें, ताकि मॉक टैस्ट में उत्तीर्ण होने वाले कार्मिको का प्रतिशत पूर्व में प्रथम अवसर हेतु उपस्थित कार्मिकों की भांति दयनीय नही हो। साथ ही यह भी निर्देशित करावें, कि उक्त अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी उत्तीर्ण नहीं हो पाने वाले कार्मिक के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही अथवा उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की विषम परिस्थितियों, जिनमें सेवा से पृथक किया जाना भी हो सकता है, हेतु स्वयं अभ्यर्थी जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

09-1-19

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, मण्डल.....
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला.....
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला.....
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक.....
5. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय.....।

अनुभागाधिकारी